



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)/लागत/11A/160

दिनांक: 25/6/13

--:: कार्यालय आदेश ::--

आवंटी को आवंटन/नीलामी में विक्रित सम्पत्ति की मांग राशि मण्डल द्वारा मांग पत्र जारी करने पर, आवंटी एवं बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने पर, समयावधि बढ़ाने हेतु आवंटी एवं बोलीदाता द्वारा आग्रह करने पर, पूर्व में जारी मांग पत्र की सकल राशि का 01 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क जमा कराने पर अवधि बढ़ाने सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

उक्तानुसार अवधि बढ़ाने के पश्चात् भी आवंटी / बोलीदाता द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर भी, उक्त जमा 01 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क वापिस नहीं लौटायी जाकर, जब्त कर ली जायेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(डॉ. आर.धकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, द्वितीय, रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/ जयपुर।
- 5- उप आवासन आयुक्त, वृत्त I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 6- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, रा.आ.म., जयपुर /PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर-I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड,जयपुर/अजमेर/भिवाड़ी/भरतपुर/झुन्झनू/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/कोटा/अलवर/पाली/बारां/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
- 7- सहायक लेखाधिकारी वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर/ उप निदेशक, विशलेष्क कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9- रक्षित फाईल।

(डी.सी.चौधरी)
वित्तीय सलाहकार